न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या :–137/2026
उत्पन्न रतवारा थाना कांड संख्या :–77/2025

1. तारनी मंडल उम्र लगभग 40 वर्ष, पिता–स्व0 रामदेव मंडल
2. अवधेश मंडल उम्र लगभग 30 वर्ष पिता–स्व0 रामदेव मंडल

दोनो साकिन–कोडराघाट, वार्ड नं0–6 थाना–रतवारा, जिला–मधेपुरा।

–आवेदक/अभियुक्त।

बनाम्

बिहार सरकार – विपक्षी

अग्रिम जमानत आदेश

17–06–2026

अभियुक्तगण 1. तारनी मंडल एवं 2. अवधेश मंडल का अग्रिम जमानत आवेदन जो रतवारा थाना कांड संख्या–77/2025 अन्तर्गत धारा–126, 127, 303, 308, 318 बी0एन0एस0 एवं 27 आर्म्स एक्ट से संबंधित है तथा विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश नंदन द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित किया गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है तथा जिन्होने ऐसा कोई आपराध कारित नहीं किया जैसे उनके विरूद्व अभियोग लगाया गया है। दोनो पक्षों में भूमि विवाद है। आवेदकगण को उस विवादित भूमि पर शांतिपूर्ण कब्जा है। निम्म न्यायालय में परिवादी द्वारा दाखिल पेटिशन में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदकगण के विरूद्व विशिष्ट अभियोग नहीं है बल्कि सामान्य है। विवादित भूमि का जमाबंदी आवेदक के पिता के नाम पर कायम है जिसका चालान 1976/1977 से दिया जा रहा है। आवेदकगण के विरूद्व लगाए गए धारा–303, 318 व 27 आर्म्स एक्ट के अतिरिक्त अन्य सभी धाराएं जमानतीय हैं। अन्य अजमानतीय धाराओं का अभियोग आवेदकों के विरूद्व नहीं बनता है। आवेदकों का पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। आवेदक न्यायालय के सभी आदेशों को अक्षरसः मानने के लिए तैयार है। अतः आवेदकगण को अग्रिम जमानत देने की कृपा की जाए।

Satish Kumar 17.06.26

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध किया गया।

अभियोजन वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 15.07.2015 को दिन में करीब 10 बजे परिवादी जमीनी विवाद को लेकर मुदालहगण के घर कहने गए कि मेरे जमीन खाता–337, खेसरा–2981 से 02डी, 2983 से 05डी, 2982 से 47डी कुल 54डी प्राप्त है जिसका अंचल कार्यालय में जमाबंदी सं0–2626 कायम है, और आपलोग अपने पिताजी स्व0 रामदेव मंडल के नाम से जमीन का जाली केवाला के आधार दाखिल खारिज क्यों करवा रहे है।

–लगातार

न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या :–137/2026
उत्पन्न रतवारा थाना कांड संख्या :–77/2025
–2–

लगातार
17–06–26

– इसपर सभी मुदालयगण गाली गलौज एवं हथियार तानकर जान से मारने का प्रयास करने लगा और बोला कि साला दरवाजे पर से भागों नहीं तो अभी ही जान से मार देंगे और परिवादी के साथ मारपीट करने लगा तथा तारनी मंडल परिवादी से 25,000 रु छीन लिया। मुदालहगण अंचल कार्यालय आलमनगर में फर्जी दस्तावेज के आधार पर दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया है। मुदालयगण सरोकारी अनैतिक कार्य करने वाले इलाके के अपराधी है जो बार बार जान से मारने की धमकी देते रहते हैं।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी, कांड दैनिकी एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी धारा–126, 127, 303, 308, 318 बी0एन0एस0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत दर्ज की गई है। प्राथमिकी का आधार परिवाद सं0–238/2025 है जिसमें परिवादी ने अभियोग लगाया है कि आवेदकगण द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाकर परिवादी की जमीन का दाखिल खारिज करवाने हेतु अंचल कार्यालय आलमनगर में आवेदन दिया गया जिसकी बाबत शिकायत करने पर आवेदकों द्वारा सूचक के साथ गाली गलौज किया गया, हथियार तानकर जान मारने का प्रयास किया गया तथा उसके जेब से 25,000 रुपया छीन लिया गया।

कांड दैनिकी के पारा–05 में वादी का बयान है जिसमें घटना का समर्थन किया गया है। परंतु पारा–06, 07, 18, 19 एवं 20 में दर्ज साक्षियों के बयान के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभय पक्षों के बीच जमीन विवाद पूर्व से चला आ रहा है जिसको लेकर दोनो पक्षों में आपस में गाली गलौज मारपीट की घटना हुई। मामला मुख्यतः जमीन विवाद से जुड़ा है जो सिविल प्रकृति का है। सूचक को किसी तरह के जख्म की पुष्टि कांड दैनिकी में नहीं हुई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक को मो0 20,000/–रू0 के दो जमानतदारों द्वारा जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस निर्देश के साथ दिया जाता है कि वे आदेश की प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर संबंधित न्यायालय में गिरफ्तारी अथवा आत्म–समर्पण की स्थिति में धारा–438(2) द0 प्र0 स0 का अंडर टेकिंग न्यायालय के संतुष्टि के आलोक में बंध–पत्र दाखिल करेंगे तथा आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगे।

लेखापित
Satish Kumar
17.6.26
(सतीश कुमार)
अपर सत्र न्या0–2, मधेपुरा।